

गुलनगंज बंगला हीटर नं. ०

पुस्तक या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

राज्य न रक्षाधी विवेकाधीन सु.नं. 202/2017

तारीख पुस्तक

25-4-22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-4-22 को पेश हो।

21-7-22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-7-22 को पेश हो।

15-9-22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12-9-22 को पेश हो।

29-10-22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05-12-22 को पेश हो।

05-12-22 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-1-23 को पेश हो।

30-1-23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10-4-23 को पेश हो।

10-4-23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17-5-23 को पेश हो।

17-5-23 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित / पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23-6-23 को पेश हो।

23-6-23

पत्रावली आज पेश हुमी वकूलाय



3

2020

# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

शालय सहायक कलक्टर ( फास्ट ट्रेक ) श्रीमाधोपुर ( सीकर )

बनाम ..... मूलचन्द ..... हीरू कर्ण

दमा ..... दावा व रचामी निषेधाज्ञा ..... नं. 202 सन् 2017

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
------	--------------------------------------	--

पक्षडारान अनुपास्वेत / प्रकरण में डोर समाप्ति तक प्रक-2 की वार-2 आवाज डिलवार्ड गयी।  
<sup>वकीलकारी व</sup> कुलाम उभय पक्षडारान में से डोर हाजिर अदालत नहीं भये हैं। अतः ~~कुलाम~~ वकील कार्यालय व कुलाम उभय पक्षडारान की अनुपास्वेती में दावा बाबत इस्तदरार तक व रचामी निषेधाज्ञा को अदम पेंरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली पैसल मुजद होकर वाद तडमील शाखिल दफ्तर हो।

*(Signature)*  
 (दिलीपारह)

सहायक डलमर (फास्टट्रेक)  
 श्रीमाधोपुर